हम भी इस देश के बच्चे हैं...
हम भी भारत के नागरिक हैं

आज़ाद जुगनू क्लब, पारधी बस्ती, राजीव नगर द्वारा
पुलिस के हाथों बच्चों के अधिकारों के हनन पर किए गए सर्वे की रिपोर्ट

प्रस्तावना

हम राजीव नगर, भोपाल में रहने वाले पारधी समुदाय के आदिवासी बच्चे हैं। हम जब से अपने आस पास के माहौल को समझ रहे हैं, तब से देखते आए हैं कि पुलिस गरीब लोगों को और खासतौर से हमारी जाति के लोगों को ज़बरदस्ती चोरी डकैती के इलज़ामों में फसाती है और इसकी धमकी देते हुए हम लोगों से पैसे ऐंठती है। पुलिस बहुत खराब तरीके से मार पिटाई करती है। ऐसा बरताव हमारे बस्ती में सभी उम्र के लोगों के साथ होता आया है। हम सोचते हैं कि (कैसे) हमारे पास का थाना न हो और हम सुकून की ज़िन्दगी जी सके।

मार्च 2015 में हमने हमारे जैसे बच्चों के साथ मिलकर आज़ाद जुगनू क्लब बनाया। हम भोपाल शहर की 9 वंचित बस्तियों के बच्चों का एक बाल समूह है। पहले हम लोग दोस्त जैसे, जान पहचान जैसे, मिलते थे, कभी खेलते थे, कभी पढ़ते थे, लेकिन अब हमने अपनी ज़िन्दगी की मुश्किलों को इकट्ठे पार करने के लिए हम बच्चों का संगठन बनाया है। हमारी बस्ती के बाल समूह के बच्चों ने अपनी बस्ती की तमाम समस्याओं को एक बैठक में रेखांकित किया और फिर चर्चा की, कि कौनसी परेशानी पर पहले काम करना है। हम को लगता है कि सभी परेशानियों में पुलिस के द्वारा हमारे साथ हो रहा दुर्व्यवहार हमको बार-बार तोड़ता है और हमारे प्रयासों में रूकावट बनता है। घटना कितने भी महीने पहले की क्यों न हो, वो हम बच्चों के मन में बैठी रहती है। हम इन अनुभवों पर बाद में हँस ज़रूर देते हैं, लेकिन जब थाने में मार खाते हैं तो बहुत टूटते हैं, मन में विचार आता है कि ऐसी जिंदगी का क्या मतलब? अतः

हमारे समूह ने तय किया कि इसी समस्या के ऊपर सबसे पहले काम करना चाहिए।

सर्वे के विभिन्न चरण-

जानकारी इकट्ठा करना ताकि दुनिया के साथ ठोस बात कर सकें- हमने सोचा कि ऐसे तो अनुभव से हम अपनी ज़िन्दगी की बातें बता सकते हैं लेकिन अब ऐसा कुछ करना था कि सामनेवाला हमारी बात टाल न सकें। उसे समझ आए कि यह छोटी मोटी समस्या नहीं है और हम झूठ नहीं बोल रहे। इसके लिए हमने अपनी ही जानकारी को एकजाही करने का फैसला किया।

प्रपत्र बनाया-

निम्नलिखित बातों के ऊपर जानकारी इकट्ठा करने के लिए एक प्रपत्र में सवाल बनाए -

- दिन, तारीख व समय जब बच्चों को पकड़ा।
- दिन व तारीख व समय जब छोड़ा।
- पीड़ित इन्सान की उम्र।
- पीड़ित इन्सान का लिंग- लड़का/लड़की।
- कहाँ से पकड़कर ले गये?
- जिस वक्त बच्चे को पकड़ा उस समय बच्चा क्या कर रहा था?
- पुलिस के हमारे साथ के व्यवहार का वर्णन
    - पुलिस ने क्या-क्या कहा या किया?
    - यदि हिंसा हुई है, तो कहां पर हिंसा की घटनाऐं हुई?
    - किसने हिंसा की?
    - क्या थाने भी ले गऐ?
    - क्या पैसे से छूटे? यदि हाँ तो कितने पैसे दिये
    - उस वक्त कैसा लग रहा था?

चूंकि ज़्यादातर हमारे बच्चे पढ़े-लिखे नहीं थे या अगर पढ़े भी हैं तो इतना नहीं कि बारीक-बारीक बातें पढ़ लिख सकें इसलिए इस प्रपत्र में चित्रों का प्रयोग किया। हमने सम्भावित उत्तरों की सूची बनाई और फिर

इनके चित्र बनाये। हिंसा के दौरान हथियार के रुप मे इस्तेमाल की गई वस्तुओं का और जिन जगहों से पुलिस द्वारा बच्चों को पकड़कर ले जाया जाता है, इन दो मसलों पर हमने चित्र इस्तेमाल किए।

जानकारी इकट्ठी की-

प्रपत्र में प्रतिदिन की घटनाओं को विवरण सहित इकट्ठा करना तय किया। जैसे-जैसे कुछ होगा, उसको दर्ज़ करेंगे ताकि एक पक्की जानकारी प्राप्त हो सके। प्रत्येक बच्चे को प्रपत्र आंवटित किये गये कि उनके घर या आ. सपास के घरों की जानकारी मिले तो उसे प्रपत्र में दर्ज़ करवाएं। सभी बच्चों ने समूह से प्रपत्र भरने के लिए वे बच्चे चुने जो ज़्यादा अच्छे से पढ़कर समझ पाये व बच्चों द्वारा बताई बातों को ठीक से लिख सकें। कभी-कभी वारदात की प्रपत्र में एंट्री घटना वाले ही दिन हो जाती, तो कभी-कभी कोई दो तीन दिनों के अंदर एंट्री कराने आ जाता। यह प्रक्रिया खासतौर मई से अगस्त 2015 के दौरान चली।

विश्लेषण

इस दौरान बच्चों ने 29 घटनाएं दर्ज़ की जो इन चार महीनों के समयकाल में फैली हुई थी। इसका औसत देखा जाऐ, तो हर सप्ताह 2-3 ऐसी घटनाऐं हो रही हैं। इन घटनाओं से जुड़ी और जानकारी के विश्लेषण करने पर निम्नलिखित स्थितियां दिखती हैं।

कौन से बच्चे उठाए जाते हैं?

आयुवार - शोध के अनुसार सर्वाधिक संख्या में 11 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के साथ घटनाऐं घटित हुई हैं।

उम्र	बच्चों की संख्या
7 वर्ष से 10 वर्ष की आयु	07
11 से 14 वर्ष की आयु	17
15 से 18 वर्ष की आयु	04
	29

इसका एक कारण यह समझ में आता है कि ज़्यादातर ये बच्चे बीनते हुए दिखाई देते हैं। बच्चों के अनुसार ऐसा इसलिए भी होता है क्योंकि इस छोटी उम्र के बच्चों को पकड़ा जाता है तो मां बाप जल्दी विचलित हो जाते हैं, वे सोचते हैं कि बच्चा पिट रहा/रही होगी और बच्चे को छुड़ाने के लिए जल्दी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं।

लिंग वार – शोध के अनुसार लिंग वार घटनाओं में कोई फर्क देखने को नहीं मिला है। आंकड़े जोड़ते समय ग्रुप में यह चर्चा भी हुई कि अंदाज़न क्या स्थिति होगी। लड़के-लड़कियों दोनों समुहों को लग रहा था कि उनके साथ ऐसी वारदातें ज़्यादा होती हैं। गिनती करने पर यह समझ में आया कि लड़के-लड़कियों के साथ बराबर की घटनाऐं हुई हैं।

लड़कियां	लड़के	कुल
14	15	29

सप्ताह के किन दिनों में बच्चों को पकड़ने की घटनायें हुई

प्रपत्रों से गिनती करने पर बच्चों को पकड़े जाने के दिन पर निम्नलिखित जानकारी निकली।

पुलिस द्वारा उठाए जाने का दिन	घटनाओं की संख्या
सोमवार	1
मंगलवार	1
बुधवार	4
गुरूवार	6
शुक्रवार	3
शनिवार	4
रविवार	10
कुल संख्या	29

सबसे अधिक संख्या में रविवार के दिन बच्चों को पकड़ा गया (हर तीसरा बच्चा रविवार के दिन ही पकड़ा जाता है।) इसके मुख्य कारण समझ में आये कि चूंकि बच्चे स्कूल नहीं गये होते हैं, उस दा. ैरान खेलने, बीनने या कुछ खरीदने के मक़सद से बच्चे घर से बाहर गये होते हैं। कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि

यदि वे बाहर नहीं होंगे तो पकड़े नहीं जाते हैं। हम बच्चों का यह भी मानना था कि इतवार के दिन कुछ पुलिसवाले चौराहों पर या बाइक पर ज़्यादा फ्री घूमते हैं और हम लोग को परेशान करते हैं।

अगली बड़ी संख्या में जिस दिन घटनायें घटित हुई हैं, वह गुरूवार का दिन था। बच्चों ने इस दिन की दो खासियतें बताईं।

- गुरूवार के दिन सांई मंदिर में भंडारा होता है, जिसमें बड़ी संख्या में बच्चे माँगने के उद्देश्य से वहाँ जाते हैं और चौराहे से पुलिस उनको उठाती है।
- गुरूवार से जुड़ी एक वजह यह भी निकलकर आई कि बुधवार का दिन कोटरा सुल्तानाबाद (जहाँ राजीव नगर पड़ता है) में साप्ताहि हाट का दिन होता है, जो रात में लगभग 11 बजे तक चलता है। अगले ही दिन, इसके पहले कि सड़कों पर झाड़ू लग जाये और रात को दुकानदारों द्वारा फेंक दी गई सड़ी गली फल सब्जियां कचरे में फिक जायें, सुबह जल्दी बच्चे थाने के बिल्कुल सामने से इन फिकी सब्ज़ियों को अपने घर के लिए बीनने निकल आते हैं। दोनों ही स्थितियों में एकाध पारधी बच्चे को उठाना आसान हो जाता है।

किस समय बच्चों के साथ घटनाऐं घटित होती हैं?
जानकारी का आंकलन करे तो समझ आता है कि ज़्यादा बच्चों को सुबहके वक्त उठाया गया था।

समय	बच्चों की संख्या
सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक	17
दोपहर 12 बजे से दोपहर 3 बजे तक	10
दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक	2
रात के समय (शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक)	
कुल संख्या	29

सुबह होते ही बस्ती से बाहर सड़क के किनारे, हर कोई जगह ढूंढ के शौच के लिए बैठ जाते हैं और फिर वहीं से अपने रोज़गार से जुड़े काम काज के लिए निकल पड़ते हैं। कबाड़ उठाने के काम में उनके मन में आशंका होती है कि कबाड़ कितना मिलेगा? मिलेगा भी या नहीं? कहीं

देर हो गई तो माल कचरे की ट्राली में न चला जाये, मुझसे पहले कोई और न बीनकर ले जाये इत्यादि। इन्हीं सब जद्दोजहद में सुबह के वक्त जल्दी में होते हैं कि सड़को और घूढ़ों से कबाड़ ढूंढ सकें। इसी स्थिति का फायदा उठाते हुए पुलिस को ये कहने में आसानी होती है कि इतनी सुबह क्यों निकलते हो? चोरी करने ही निकले हो। पूरा सूरज चढ़ जाए, फिर निकलो। काम के लिए कभी भी निकलो तो पुलिस शक की नज़र से ही देखती है।

कहाँ कहाँ से बच्चों को उठाया गया है?

शोध से पता चला कि अधिकांश बच्चों के साथ घटनाऐं उनके घर के इर्द गिर्द ही हुई है। स्प ट है कि खास समुदाय के लोग अपने घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। 29 में से 12 बार बस्ती के बगल में लगे नेहरू नगर चौराहे से बच्चों को उठाया गया है।

जिन जगहों से बच्चों को पकड़ा गया	बच्चों की संख्या
बस्ती व उसके आमने-सामने	8
बस्ती के आधे किलोमीटर के अंदर की जगह	10
नेहरू नगर चौराहा व उसके आस पास	12
पी एन टी चौराहा	3
कोटरा सुल्तानाबाद	2
वैशाली नगर	1
बस्ती के एक किलोमीटर के अंदर की जगह	
जवाहर चौक	1
पुलिस लाइन	2
कुल बच्चों की संख्या	29

इसके लिए ठोस रूप से सामने आऐ कारण :-

- नेहरू नगर चौराहे पर स्थित सांई मंदिर है जहां से बच्चों को पकड़ा गया। अधिकतर बच्चे यहाँ माँगने, प्रसाद लेने, खाना मिलने की उम्मीद से जाते हैं।
- नेहरू नगर चौराहे पर स्थित देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान -

सुबह से रात तक शराब पीने आने वाले लोगों द्वारा फेंकी जाने वाली दारू की खाली बोतले, ढक्कन, पुष्ठे, शराब की दुकान से निकलने वाले कबाड़ के इंतज़ार में बच्चे वहां खड़े होते हैं। बच्चों को यहां खड़ा देख पुलिस उन्हें यह कह कर पकड़ ले जाती है कि वे वहां चोरी करने की फिराक में खड़े थे।

राजीव नगर रहवासियों के लिए सबसे नज़दीक का बाज़ार नेहरू नगर चौराहा है। बाज़ार नज़दीक होने की वजह से यहां से वे अपनी ज़रूरतों की छोटी बड़ी सभी तरह की खरीददारी करते हैं। कई बार चाय पोहा भी यहीं के ढाबों पर बैठ के खाते हैं, जो हर आम इंसान आमतौर पर

करता है। परन्तु पारधी समुदाय के लिए ये उतनी आसान बात नहीं है। यदि पुलिस हमें हाथ में पैसे पकड़े बाज़ार की ओर जाता देखते है या कुछ सामान खरीदकर लाता देखते हैं तो यह कहकर पकड़ लेते हैं कि ये सामान तू चुराकर लाया है, पैसे तूने दुकान से चुराये हैं।

चौराहे के नज़दीक ही कमला नगर थाना स्थित है, थाने में मौजूदा 5-6 पुलिसकर्मी आमतौर पर चौराहे पे खड़े होते हैं, वे पारधी बच्चों को पह. चानते हैं जिससे उन्हें इन बच्चों को पकड़ने में आसानी होती है।

कानून कहता है कि बच्चे को उठाना ज़रूरी ही हो तो ऐसे तरीके से उठाएं जिससे बच्चे का मनोबल नहीं टूटे। बच्चों को वर्दी में नहीं उठाएं। थाने में नहीं ले जाएं। प्यार से बात करें। परामर्श दें।

किन्तु हम बच्चों को लगता है कि शायद यह किसी और देश की बात है या हमको इस देश का नागरिक ही नहीं मानते। हम भी तो बच्चे हैं, सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। क्या बीनना अपराध है? क्या पारध ी पैदा होना अपराध है? क्या हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं?

<u>बच्चों के साथ पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही</u>

थाने में बंधित रखना - इस दौरान के एकत्रित आकड़ों में किन्हीं भी बच्चों पर केस दर्ज़ नहीं किए गए। एक बच्चे को लात मारी और गाली देकर (बच्चों के साथ हुए दुर्व्यवहार के ऊपर अगले हिस्से में विस्तार से लिखा है) सड़क पर ही डराया गया और बाकी सब बच्चों को पास

स्थित कमला नगर थाने तक लाया गया। एक बच्चे को पूछताछ के लिए टी.टी.नगर थाने भी ले गए।

लम्बे समय तक हवालात में रखना -

29 में से केवल एक ही घटना थी जिसमें बच्चे को तुरंत ही जाने दिया था या ऐसे कैद नहीं किया था। बाकी घटनाओं की स्थिति इस तरह से रही–

- तीन घटनाएं ऐसी थी जिसमें बच्चों को 4 से 6 घंटे के अंदर छोड़ दिया गया। उदाहरण के लिए– सुबह 6 बजे उठाया गया तो दोपहर 12 बजे तक छोड़ा या दोपहर 3 बजे उठाया तो शाम 7 बजे तक पुलिसवालों की कस्टडी से निकल पाए।

ज्यादातर वारदातों में बच्चों को कानूनी रूप से थाने में रखने की 8 घंटे तक की वैधता से ज्यादा वक्त थाने में नजरबंद किया।

- दस घटनाओं में बच्चों को सुबह के वक्त (दिन के 12 बजे के पहले) पकड़ा है और शाम या रात तक छोड़ा गया।
- पाँच वारदातों में बच्चों को पहले दिन के पूर्वान्ह में उठाया गया तो अगले दिन शाम तक छोड़ा गया।
- तीन घटनाओं में दो दिन से ज़्यादा समय थाने में रखा गया।

<u>मौखिक प्रताड़ना</u> - कानून में बच्चों को सलाह और आश्वासन देने के प्रावधान के एकदम विपरीत पुलिस द्वारा उनके साथ अश्लील भाषा में बातचीत की जाती है। पुलिसवाले जब गालियां दे रहे होते हैं, तो ये नहीं सोचते कि वे किसे गाली दे रहे हैं।

पुलिस की शब्दावली यौनिक गालियां और यौनिक हिंसा से भरी होती है जिसे बच्चे वापस बताने में भी कतराते हैं -

- किसी भी उम्र के लड़का लड़की से कहना कि तेरी मां को बुला ले, तेरे बाप से नहीं चुद रही तो हम चौद दें, तेरी बहन को बुला

ले। लड़कियों से कहना कि अरे तुम बीनने थोड़ी जाती हो तुम लोग चुदाने जाती हो। यही बातें 7–8 साल के बच्चों से भी कही जाती हैं जो इन शब्दों का अर्थ तक नहीं समझते।

- चोरियां कबूल करवाने के लिए लड़कियों को धमकाना कि मां की लवड़ी अगर तूने कुबूला नहीं किया, तो तेरी गांड में डंडा डाल के, बांस डाल के, मिर्ची डाल के चलायेंगें।
- लड़कियों को छिनाल, चुदेल, रंडी, लंड खाऊ जैसे ाब्दों का प्रयोग करते हुए आवाज देना या बात करना, पुलिस के लिए आमबात है।

<u>शारीरिक प्रताड़ना</u> – बच्चों जब तक थाने से बाहर नहीं आ गये उनके साथ लगातार दर्दनाक व असहनीय हिंसाऐं हुई। बच्चों के साथ अलग–अलग तरह से हिंसा की जाती है, जैसे–बाल पकड़ के दीवार से मार देना, बाल खींच लेना, कलमों के बाल उखाड़ देना, बाजूओं के बाल खींचना, डंडे/लकड़ी के पटले से शरीर के जोड़ो पर मारना, जैसे– पैर के टखने पर, घुटनों पर, हाथों की उंगलियों के जोड़ों पर, कंधो के जोड़ पर मारना, पैरों व हाथों की उंगलियों के बीच में लकड़ियां फंसाकर रखना और दबाना, पैरों के बीच डंडा फंसाकर मुर्गा बनाकर रखना इत्यादि।

हाथ व पैरों की गद्दियों व कूल्हों पर, पैर में, कमर में, जांघों में चक्की के चौड़े पट्टे प्लास्टिक के पाइप, चक्की के पट्टे, लकड़ी के पटले से मारना।

लड़के और लड़कियों की मात्र पकड़े जाने की घटनाओं में बराबरी नहीं है बल्कि सज़ा के तरीके भी एक जैसे ही हैं, फिर चाहे मुर्गा बनाकर पीछे लात मारना हो या उंगलियों के बीच में लकड़ियां फंसाकर, टांगो के बीच में डंडा फसाकर औंधे बिठालना। जिससे यह साफ ज़ाहिर होता है कि थानों में लड़कियों के लिए कोई रियायत नहीं बरती जाती है। उदाहरण–घटना से संबधित बालिका मुर्गा नहीं बनना चाहती थी, उसने पेंट पहन रखा था। उस समय वह असहज महसूस कर रही थी, फिर भी वहां उसे मुर्गा बनने और कूल्हे उंचे रखने को मज़बूर किया गया।

आंकड़ों में देखा जाए तो 29 में से पूरे के पूरे बच्चों के साथ गंदे तरीके से बात की गई और 28 बच्चों के साथ मार पिटाई जैसी शारीरिक हिंसा भी की गई। केवल 4 बच्चे ऐसे थे जिनके साथ हाथों से मारपीट हुई, बाकियों के साथ शारीरिक हिंसा में पुलिसवालों ने जूते, डंडे व पट्टे और पाईप भी इस्तेमाल किए।

सुबह के समय 14 वर्षीय लड़की बोरी दबाये घर से निकलती है, तभी पीछे से फोर व्हीलर आकर रूकती है और पुलिस की वर्दी में बैठे चार में से आगे बैठा एक पुलिसवाला खिड़की का दरवाज़ा खोलकर हाथ बाहर निकालता है, इससे पहले कि लड़की संभल पाती, वह उसे अंदर की और खींचने की कोशिश करता है। इस दौरान पुलिसकर्मी का हाथ उसके स्तन से भी टकराता है। लड़की खुद को बाहर की ओर खींचती है और तभी साथी महिलाऐं आकर उसे बचाने की कोशिश करती हैं। महिलाओं को गाली देते हुऐ पुलिसकर्मी अपनी गाड़ी ले कर आगे बढ़ जाते हैं। इस घटना से विचलित होकर लड़की ने बस्ती से जाने का फैसला कर लिया। वह बहुत डरी हुई है, वह अब बीनने नहीं जाना चाहती है। वह खुद को दोष देती है, बहुत शर्मिन्दा होती है।

बच्चों को छोड़ने के लिए पैसे की माँग

बच्चों को छोड़ने के लिए हमारे परिवारों से पैसों की माँग एक आम बात है। मारना और झूठे केस में फंसाने की, पुलिस की अघोषित धमकी रहती है। केवल इतना ही देखने को रहता है कि पुलिस वाले कितना माँगेंगे और कितने में मान जाएंगे। थाने ले जाने का अर्थ ही पैसे ऐंठना है। इसलिए हम लोग मार और खर्चे से बचने के लिए पुलिस को देखकर भागते है और डरते हैं कि पैसे देने से और कर्ज़ा बढ़ जाएगा।

इस अध्ययन के दौरान एक बच्चे को छोड़कर (जिसे सड़क से ही डरा धमका के छोड़ दिया था) सभी बच्चों को थाने से और परिवार से पैसे लेकर ही छोड़ा गया। एक औसत निकाला जाए तो पुलिसवालों द्वारा 500 रूपए से ऊपर की रकम सिर्फ बच्चों को ही पकड़ते हुए वसूली जा रही है।

उम्र	बच्चों की संख्या	खर्च हुए कुल पैसे	प्रत्येक बच्चे पर ली गई न्यूनतम व अधिकतम राशि	औसत राशि प्रति बच्चा
7-10 वर्ष	7	8500	500 रूपये से 2000 रूपये	1214 रूपये
11-14 वर्ष	17	44800	200 रूपये से 4000 रूपये	2635 रूपये
15-18 वर्ष	4	18000	2000 रूपये से 10000 रूपये	4500 रूपये

पैसे के मसले में कुछ और बाते भी समझ आई हैं -

- लड़कियों की घटनाओं में अधिक पैसों की वसूली की गई है। बच्चों के स्वयं के अनुभव थे कि जब भी किसी लड़की की घटना होती है तो माता-पिता को लगता है कि लड़की का मामला है और यदि आज के आज ही पैसे लाकर नहीं दिये तो उसे थाने में रात रोक कर रखेंगे। इस खौफ में आकर भी माता-पिता व परिवार के लोग जल्द से जल्द पैसा देकर लड़की को थाने से निकाल कर ले जाने की कोशिश करते हैं। पुलिस भी इसी बात का फायदा उठाते हुऐ उनसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसे की मांग करती है।

- बड़े बच्चों के लिए पैसे की माँग भी ज़्यादा होती है। बड़ी चोरी और बड़ी धाराएं लगाने की धमकी में छोड़ने की माँग बढ़ भी जाती है।

- थाने की मारपिटाई से बचने के लिए, थाने से बाहर आने के लिए, हर हाल में पैसों का इंतज़ाम करना पड़ता है, फिर भले ही समुदाय या समुदाय से बाहर के लोगों से मनमानी ब्याजदर पर पैसा क्यों न लेना पड़े। जैसे ही बच्चे छूट कर वापस आते हैं, बच्चों को ख़ुद को छुड़वाने का कर्ज़ा चुकाने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। बच्चों को यह कर्ज़ा अपने ऊपर बोझ के साथ-साथ ज़िम्मेदारी भी लगती है क्योंकि एक तरीके से उनके ही कारण यह कर्ज़ा परिवार पर आया है। अब उनके ऊपर अपना पेट भरने के अलावा, कर्ज़ चुकाने की दूसरी ज़िम्मेदारी भी होती है। इन हालातों के चलते बच्चों को भी मजबूरन दिन रात बीनना व भीख मांगना पड़ता है जिससे वह वापस पढ़ना लिखना छोड़, अपने काम में लगे रहते हैं और तब भी वे साहूकारों का कर्जा नहीं चुका पाते है और ब्याज लगातार बढ़ता जाता है।

- यह अध्ययन हमने अपनी ही बस्ती में किया लेकिन अपने रिश्तेदारों से सुनते हैं कि जहाँ–जहाँ पारधी रहते हैं, वहाँ पुलिस द्वारा पैसा ऐंठने का ऐसा ही चलन है। अलग–अलग थानों में अलग–अलग रेट चलते हैं।

पुलिसवालों के विवरण

बच्चों से इकट्ठी की गई जानकारी से यह पक्का नहीं बोला जा सकता कि कितनी घटनाओं में किस स्तर का पुलिसवाला उनके साथ दुर्व्यवहार करने में शामिल था किन्तु यह स्प ट जानकारी ज़रूर मिली है कि कभी बिना स्टारवाला, कभी एक सितारेवाला और कभी दो सितारेवाले शामिल रहे।

थाने में हुई मारपिटाई के बारे में तो थाने के सभी पुलिावाले एक तरीके से शामिल और ज़िम्मेदार थे क्योंकि कोई भी इस दुर्व्यवहार को रोकने के लिए आगे नहीं आया।

शोध के अनुसार जिस समय बच्चों के साथ ये घटनाऐं घटित हुई उस दौरान अधिकांश बच्चों को पुलिस की वर्दी में पकड़ा गया। 29 में से केवल 2 घटनाओं में पकड़नेवाली पुलिस वर्दी में नहीं थी।

कई मसलों में बच्चे पुलिसवाले को नाम से जानते हैं।

बच्चों पर असर

शोध के दौरान थाने से छूटने पर बच्चों से पूछा कि उनको क्या लग रहा था या अभी कैसा लग रहा है तो बहुत ही झकझोरने वाले प्रभाव सामने आ रहे थे। इससे स्प ट होता है कि बच्चों के साथ पुलिस के इस तरह के बरताव से उन पर शारीरिक के साथ–साथ मानसिक और आर्थिक रूप से भी आघात पहुँचता है।

‘‘थाने में मेरे बाल खींचे थे, अब भी बहुत दुखते हैं, पूरे सिर में दर्द रहता है।‘‘

''पैरों में डंडे से ऐसा मारा था कि अब मैं ठीक से चल नहीं पा रही हूं, पैर बहुत दुखते है।''

''जब थाने में मार पड़ रही थी तो मैं सोचती थी कि बाहर निकलकर इनको भी मारूंगी। मन में बहुत गुस्सा आता है।''

''मेरा मन करता है कि मैं पुलिसवालों का खून कर दूँ। मुझे पुलिस बहुत बुरी लगती है।''

''जब हम छूट कर आते हैं तो हमें बहुत दिन तक अच्छा नहीं लगता, शरीर में सब जगह दुखता है लेकिन आते से ही बीनने जाना पड़ता है क्योंकि कर्ज़ा चुकाना रहता है।''

मौखिक रूप से किसी इन्सान को विशेषतः एक बच्चे को गालियां, ध ामकियां, आरोप और पूर्वाग्रहों से भरी भाषा उनका मनोबल तोड़ देती है। बच्चों की पुलिस और समाज से उम्मीदें बार-बार टूटती हैं।

सरकार की इस व्यवस्था (पुलिस) का बच्चों के प्रति दुर्व्यवहार (बच्चों से कहना कि ''उनकी माँ, बहन के साथ वे गलत काम करेंगे, कि वे चोर

की औलाद हैं चोर ही बनेंगे) किसी भी रूप में शारीरिक प्रताड़ना से कम नहीं है।

इस तरह बच्चों को मानसिक तौर पर आघात पहुंचाकर, उनके सम्मान को ठेस पहुंचाकर, खुद के लिए बेहतर ज़िंदगी के सपने देखने से दूर ले जाकर, यह पुलिसिया व्यवस्था इन बच्चों को पन्नी बीनने या समाज की नज़र में असम्मानजनक जिंदगी जीने को मजबूर करती है। बच्चे कुछ भी करे या न करे उन्हें अपराधी के रूप मे देखा जाता है, और उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। फिर हमारे साथ हो रहे अन्याय को इसी उत्तर में छुपा देते हैं कि हम पारधी हैं। क्या पारधी होना अपराध है?

हाँ हम पारधी हैं.... हाँ हम इन्सान हैं।